

सम्मुख ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे. जे.

राम अवतार - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 22996 वर्ष 2021

16 मार्च, 2022

हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007, नियम 11 (1) (बीबी), 13 (2), 31-भारत का संविधान, अनुच्छेद 223 (2)-अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति - याचिकाकर्ता उक्त पद के लिए एक उम्मीदवार है, जो वर्तमान में हरियाणा सरकार के अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायावादी के रूप में काम कर रहा है-2007 के नियम 11 (1) (बीबी) में छूट - नियम के लिए स्वतंत्र जुड़ाव और आरक्षित श्रेणी के लिए प्रति वर्ष कम से कम 40 मामलों के संचालन की आवश्यकता होती है- आयोजित-याचिकाकर्ता उक्त नियम में छूट का हकदार नहीं है - एडीजे के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को न केवल शैक्षणिक और कानून की जानकारी की आवश्यकता होती है, बल्कि बुद्धिमत्ता, जवाबदेही, निष्ठा, ईमानदारी, कानून का बुनियादी ज्ञान और मजबूत सामान्य ज्ञान भी होता है जो समय के साथ अदालतों में उपस्थिति के साथ विकसित होता है और बढ़ता है - नियमों को निरर्थक बनाने के लिए उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां नियमों का उद्देश्य विफल हो जाएगा - उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक परिपक्व और प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग की आवश्यकता है, जो सोचने में तर्कसंगत और मूल्यांकन करने में तार्किक हो - याचिका खारिज।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह न केवल वैधानिक नियमों के तहत जरूरी आवश्यकता है, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए नियम बनाए गए हैं और निर्धारित किये गए हैं, उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई छूट दी जाती है, तो नियमों में संशोधन लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। छूट केवल उन मामलों और नियमों के लिए प्रदान की जा सकती है जो मूल रूप से प्रक्रियात्मक हैं और उस आधार, उद्देश्य और इरादे के विपरीत नहीं हैं जिसके लिए नियम बनाए गए हैं। छूट देकर, नियमों को अनावश्यक बनाने के लिए कमजोर नहीं किया जा सकता है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि नियमों का उद्देश्य विफल हो जाए।

(पैरा 10)

अंकुर सिंधार और राजेश खंडेलवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

राम अवतार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य  
( ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

रमिंदर सिंह, राजीव आनंद अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता  
**ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।**

(1) याचिकाकर्ता, जो हरियाणा सरकार के अभियोजन विभाग में सहायक जिला **न्यायवादी** के रूप में काम कर रहे हैं और हरियाणा **उच्च** न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में **उम्मीदवार** हैं, ने हरियाणा **उच्च** न्यायिक सेवा नियम, 2007 (जिसे इसके बाद '2007 नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 11 (1) (बीबी) में ढील देने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 'स्वतंत्र जुड़ाव' और 'प्रति वर्ष कम से कम 40 मामलों का संचालन' साबित करने की आवश्यकता है, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल है (पिछड़ा वर्ग), जिसे 2007 के नियमों में दिनांक 06.06.2014 के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया है। उक्त छूट 2007 के नियमों के नियम 31 के तहत मांगी जा रही है, जहां राज्यपाल के पास लिखित में दर्ज कारणों में उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट देने की शक्तियां हैं। यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.09.2021 का एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-4) प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पहले लोहारू, जिला भिवानी में अदालतों में 06.10.2012 से एक अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा था और पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल से एक अधिवक्ता का दिनांक 05.10.2012 को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जिसका नामांकन क्रमांक पी/2438/2012 है, 10.08.2017 तक ऐसे ही जारी रखा। उन्हें हरियाणा के सहायक जिला **न्यायवादी** के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया और 11.08.2017 को इसमें शामिल हुए और राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार रेंज, हिसार के कार्यालय में उक्त पद पर काम कर रहे हैं। हरियाणा राज्य अभियोजन कानूनी सेवा (समूह 'बी') नियम, 2001 (इसके बाद '2001 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 13 (2) के तहत हुए हरियाणा राज्य अभियोजन कानूनी सेवा के सदस्य होने के नाते उन्हें स्वतंत्र/निजी कार्य करने की अनुमति नहीं है। उक्त नियम के अनुसार, सेवा के किसी भी सदस्य को निजी कार्य का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस तथ्य के आलोक में, याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष स्वतंत्र जुड़ाव और मामलों के संचालन की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, हालांकि वह अधिवक्ता और व्यवहार से संबंधित न्यायालयों में उपस्थिति को छोड़कर लगभग सभी कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता अदालत में लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों का मसौदा तैयार कर रहा है, उनकी जांच कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है और उनकी सहायता कर रहा है।

याचिकाकर्ता को मुवक्किल यानी संबंधित विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है, वह कानूनी राय देता है, कानूनी नोटिस आदि भेजता है और उनका जवाब देता है और, इसलिए, एक अधिवक्ता के सभी कार्य करता है। अभियोजन विभाग के विधि अधिकारियों को न्यायालयों के संशोधनों और वर्तमान निर्णयों सहित नवीनतम अधिनियमों, नियमों और विनियमों से अच्छी तरह से परिचित और अद्यतन होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता द्वारा इन सभी कार्यों को पूरा करने के कारण, वह 2007 के नियमों के नियम 11 (1) (बीबी) की कठोरता से, 2007 के नियमों के नियम 31 में दी गई छूट का लाभ पाने का हकदार है।

(3) अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के **दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य** के 2013 के सिविल अपील नंबर 561 वर्ष 2013 में 21.01.2013 को दिए गए फैसले का हवाला दिया, जहां यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कोई लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक/जिला **न्यायवादी** /सहायक जिला **न्यायवादी** /उप महाधिवक्ता जो सरकार के पूर्णकालिक रोजगार में है, संविधान के अनुच्छेद 223 (2) के अर्थ के भीतर एक अधिवक्ता या वकील नहीं रह जाता है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन नियुक्त किये गए व्यक्तियों को इस आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य ठहराते हुए जवाब दिया कि वे एक अधिवक्ता बने रहते हैं और अधिवक्ता होना बंद नहीं होते हैं। इसलिए, उनका तर्क है कि नियम 11 (1) (बीबी) में 'स्वतंत्र संलिप्तता' और 'कम से कम 40 मामलों का संचालन' जैसे शब्दों को उक्त फैसले को दरकिनार करने के इरादे से शामिल किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता नियम में छूट का हकदार है, जैसा जैसा कि अनुरोध किया गया है।

(4) जब मामला 15.11.2021 को सुनवाई के लिए आया, तो पीठ ने वकील के ध्यान में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले को लाया, जो 2019 के सीडब्ल्यूपी नंबर 21026 में शीर्षक **डॉ. गुरपुनीत सिंह रंधावा बनाम रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़** में 24.09.2019 को पारित हुआ था जहां पंजाब के मामले में, जिसमें पैरा मैटेरिया नियम हैं और हरियाणा के मामले में भाषा, पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज रूल्स, 2007 के नियम 10 (बीबी) के तहत प्रदान की गई भाषा के समान है, जिसे 30.05.2019 पर जारी अधिसूचना द्वारा पेश किया गया था, रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें वही शर्तें हैं जो नियम 11 (1) (बीबी) में लगाई गई हैं, लेकिन उक्त चुनौती विफल हो गई थी।

(5) आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो याचिकाकर्ता के वकील उक्त फैसले में अंतर करने में असमर्थ रहे, हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसमें और वर्तमान मामले में एकमात्र अंतर यह है कि याचिकाकर्ता नियम में उक्त संशोधन को रद्द करने की मांग नहीं कर रहा है,

राम अवतार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य  
(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

बल्कि केवल याचिकाकर्ता को छूट प्रदान करने और इसी तरह कर्मचारियों को 2007 के नियमों के नियम 11 (1) (बीबी) की कठोरता से कर्मचारियों की श्रेणी में रखने की प्रार्थना कर रहा है। इस पहलू के आलोक में याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलों के आधार पर अपनी बातें रखीं और वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(6) हमने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई दलीलों को सुना और उनकी सहायता से, दलीलों, प्रासंगिक नियमों और विभिन्न निर्णयों का अध्ययन किया है जिन्हें डॉ. गुरपुनीत सिंह रंधावा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा संदर्भित किया गया है।

(7) तथ्य विवाद में नहीं हैं क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को 11.08.2017 को पर सहायक जिला न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह हरियाणा सरकार के अभियोजन विभाग में राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार रेंज, हिसार में इस पद पर कार्यरत है। यह भी विवाद में नहीं है कि अभियोजन विभाग के 2001 के नियमों का नियम 13 (2), सेवा के किसी सदस्य को निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं देता है और इसलिए, याचिकाकर्ता को स्वतंत्र/निजी कार्य करने की अनुमति नहीं है और न ही वह अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है, हालांकि, वह अदालत में लोक अभियोजक/सरकारी वकीलों की सहायता कर सकता है, मामलों का मसौदा तैयार कर सकता है, राय दे सकता है और सलाह दे सकता है। इसलिए, उक्त पहलू जो याचिकाकर्ता के मामले में लागू होने के अनुसार याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य बनाता है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता हरियाणा उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के विचार के लिए 2007 के नियमों के तहत योग्य नहीं है। यह सीधी भर्ती के लिए नियम 11 (बीबी) के तहत प्रदान की गई योग्यताओं के आलोक में है, जो इस प्रकार है:-

“11. सीधी भर्तियों के लिए योग्यता इस प्रकार होगी:

“(ख) आवेदन की तारीख से पहले कम से कम तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए एक आयकर निर्धारिती होना चाहिए, जिसकी सकल व्यावसायिक आय प्रति वर्ष पांच लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक को पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम पचास मामलों (समूह मामलों को छोड़कर) के अपने स्वतंत्र संलिप्तता और संचालन का प्रमाण भी संलग्न करना होगा:

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में,

सकल व्यावसायिक आय प्रति वर्ष तीन लाख रुपये से कम नहीं होगी और पिछले तीन वर्षों में स्वतंत्र संलिप्तता और मामलों के संचालन की शर्त प्रति वर्ष चालीस मामले (समूह मामलों को छोड़कर) होगी।”

(8) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक को न केवल आयकर निर्धारिती होने की आवश्यकता को पूरा करना है, बल्कि उसकी न्यूनतम सकल व्यावसायिक आय उस श्रेणी के आधार पर होनी चाहिए जिससे वह संबंधित है। इस पहलू के अलावा, एक शर्त लगाई गई है कि आवेदक को स्वतंत्र संलिप्तता से कार्य करने और आरक्षित श्रेणी के मामले में कम से कम 40 और सामान्य श्रेणी के मामले में 50 मामलों के संचालन का अनुभव होना चाहिए।

(9) याचिकाकर्ता, अपनी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों यानी 2001 के नियमों के आलोक में, पेशेवर आय के पहलू के अलावा स्वतंत्र संलिप्तता और मामलों के संचालन की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सहायक जिला न्यायावादी के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद, उन्हें अपने अधिवक्ता के लाइसेंस को समर्पण करना पड़ा। इस प्रकार, बिना किसी कल्पना के विस्तार से यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता हरियाणा उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए वैधानिक नियमों की आवश्यकता को पूरा करता है।

(10) एकमात्र प्रश्न जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को 2007 के नियमों के नियम 31 के तहत नियम 11 (बीबी) में छूट का हकदार ठहराया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस कारण से नकारात्मक होना चाहिए कि न केवल शैक्षणिक और कानून के ज्ञान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कानून के बुनियादी ज्ञान और मजबूत सामान्य ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो समय के साथ अदालतों में उपस्थिति के साथ विकसित होता है और बढ़ता है। शैक्षणिक ज्ञान के अलावा, संचार कौशल और विचार जो स्थितियों को शांत करने की योग्यता के साथ व्यवहारकुशल, कूटनीतिक हैं, भी मूल्यांकन के लिए आवश्यक है जिसके लिए स्वतंत्र संलिप्तता और मामलों को सँभालने की आवश्यकता होती है। भर्ती की एक प्रणाली जो किसी व्यक्ति के शैक्षणिक ज्ञान और कौशल के मूल्यांकन पर लगभग पूरी तरह से निर्भर करती है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने की योग्यता से अलग है, न केवल एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक है, बल्कि उसे किसी स्थिति या समस्या के प्रभावों को समझने के लिए न केवल ज्ञान और छान-बीन सामग्री को आत्मसात करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मूल और/या अभिनव दृष्टिकोण विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए।

राम अवतार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य  
(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)

(11). जब इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है, तो जिस उद्देश्य के लिए इन नियमों को शामिल किया गया है और संशोधन लाया गया है, वह स्पष्ट हो जाता है। तीन साल के हालिया अभ्यास के साथ एक अधिवक्ता के रूप में सात साल का अनुभव जिसमें न्यूनतम स्तर की व्यावसायिक आय की आवश्यकता होती है और उन मामलों की संख्या भी जहां एक उम्मीदवार को न केवल स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया है, बल्कि उन्हें संचालित किया गया है, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि केवल अदालत में उपस्थित होना या बिना मामलों का संचालन किए अदालत में उपस्थित होना या उनका मसौदा तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए जो आधार आवश्यकता अपेक्षित है, वह परिपक्व और प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग हैं, जो न केवल प्रतिक्रियाशील हैं, बल्कि सोच में तर्कसंगत और मूल्यांकन में तार्किक हैं। यह एक व्यक्ति केवल अनुभव और अभ्यास के साथ मामलों का संचालन करके विकसित कर सकता है और वह भी स्वतंत्र रूप से।

(12). यह न केवल वैधानिक नियमों के तहत जरूरी आवश्यकता है, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए नियम बनाए गए हैं और आशयित है, उन्हें कम नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई छूट दी जाती है, तो नियमों में संशोधन लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। छूट केवल उन मामलों और नियमों के लिए प्रदान की जा सकती है जो मूल रूप से प्रक्रियात्मक हैं और उस आधार, उद्देश्य और इरादे के विपरीत नहीं हैं जिसके लिए नियम बनाए गए हैं। छूट देकर, नियमों को अनावश्यक बनाने के लिए कमजोर नहीं किया जा सकता है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि नियमों का उद्देश्य विफल हो जाए। दूसरे शब्दों में, नियमों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है जो उसी उद्देश्य की हताशा का कारण बने जिसके लिए नियम बनाए गए हैं।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, रिट याचिका योग्यता रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

डॉ. पायल मेहता

**अस्वीकरण-** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हरविंदर सिंह, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।